

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2020—ज्येष्ठ 1, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है.

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक 495/22-1/2020.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-02/2020/एफ-2, दिनांक 20-01-2020 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित करते हुए संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ कर, मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

2. अतः शासनादेश के परिपालन में श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नवीन पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 03-02-2020 (पूर्वान्ह) से भारमुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामलाल खैरवार, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 1-08/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री भोज राम पटेल, भा.पु.से. (2013), को आवंटन वर्ष 2013 से 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 तथा भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 6(ए)(3) में निहित प्रावधान के तहत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से अर्थात् दिनांक 13-12-2019 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मार्च 2020

क्रमांक एफ 7-07/2014/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26-10-2019 को निरस्त करते हुये, राज्य शासन एतद्वारा श्री पवन देव, (भापुसे 1992) अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, छ.ग. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर को दिनांक 26-12-2019 से 02-01-2020 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 25-12-2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवन देव आगामी आदेश तक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, छ.ग. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री पवन देव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन देव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक एफ 1-09/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री त्रिलोक बंसल (भापुसे-2016), को आवंटन वर्ष 2016 से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2020 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2020 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक एफ 1-09/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2011 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2020 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2020 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 रु. 78,000-02,09,200) कंडिका-02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है :—

1. श्री संतोष कुमार सिंह (सीजी-2011)
पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़.
2. श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला (सीजी-2011)
पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., रायपुर.
2. भारत सरकार द्वारा आयोजित आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 1038/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
 - (ख) तहसील-वाड़फनगर
 - (ग) नगर/ग्राम-बड़कागांव, प.ह.नं. 36
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1389	0.14
1422	0.18
1248	0.08
1415/2	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1418	0.14	795/3	0.03
1412	0.01	795/4	0.03
1414	0.03	795/5	0.04
1416	0.06	795/6	0.06
1411	0.16	796	0.06
1253	0.01	798	0.13
1256	0.03	797/4	0.08
1254	0.03	797/3	0.08
1257	0.03	797/2	0.08
1251	0.15	797/1	0.10
1207	0.01		
1264	0.08	योग	62 3.91
1250/2	0.08		
1265	0.12	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखनई	
1266	0.20	व्यपवर्तन योजना डुबान के मुख्य नहर निर्माण हेतु.	
1267	0.02		
1247	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
1229/1	0.05	(रा.), वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के	
1229/2	0.05	कार्यालय में किया जा सकता है.	
1229/3	0.05		
1208	0.15	बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020	
1214/1	0.11		
1228	0.03		
1227/1	0.05	क्रमांक 1039/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—	
1227/6	0.02	चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	
1227/2	0.04	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	
1227/7	0.02	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	
1205/2	0.04	अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
1227/3	0.04	का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	
1227/4	0.02	2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
1227/15	0.02	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
1222/3	0.01	है :—	
1222/4	0.02	अनुसूची	
1227/5	0.02		
1227/14	0.02	(1) भूमि का वर्णन—	
1221	0.06	(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	
1222/1	0.01	(ख) तहसील-वाड्डफनगर	
1222/5	0.02	(ग) नगर/ग्राम-बड़कागांव, प.ह.नं. 36	
1222/6	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर	
1213	0.07		
1210	0.10	खसरा नम्बर	रकबा
1205/1	0.03		(हेक्टेयर में)
1205/3	0.03	(1)	(2)
1192/2	0.04		
1170/2	0.02	1265	0.05
1111/2	0.32	1266	0.07
1214/2	0.06	1270	0.12
787	0.03	1271	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
1273/6	0.07	443	0.04
		462	0.15
योग	05	492	0.07
	0.45	517	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखनई जलाशय योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.		550	0.11
		458	0.01
		459	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्फनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.		460	0.06
		461	0.11
		475	0.10
		545	0.36
		493	0.09
बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020		435	0.14
		494	0.07
क्रमांक 1040/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—		531	0.10
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		488	0.03
		489	0.05
		543	0.10
		547	0.08
		548	0.04
		553	0.11
		554	0.03
		555	0.03
		544	0.05
		416	0.06
		432	0.09
		427	0.04
		430	0.10
		426	0.03
		417/2	0.18
		425	0.02
		424	0.02
		423	0.02
		420	0.11
		414	0.01
		445	0.02
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	
(1)	(2)	48	3.44
436/1	0.09		
436/2	0.03		
437	0.06		
439	0.11		
440	0.08		
465	0.04		
431	0.01		
464	0.04		
67	0.08		
446	0.03		
468	0.04		
466	0.13		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुकरझरिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्फनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्रमांक 344/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र.प्लान मुरमुंदा/2020.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में मुरमुंदा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक-3178/नग्रानि/राजनांदगांव/स्ट्र.प्लान मुरमुंदा/2019, राजनांदगांव दिनांक 03-09-2019 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 08 नवम्बर 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुरमुंदा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

मुरमुंदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम गाजमरा, भंडारपुर, मुरमुंदा, मुढ़पार, जामरी एवं जटकन्हार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम जटकन्हार, जामरी, मुढ़पार एवं खलारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम खलारी, मेंढा, पटपर एवं पिनकापार ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम पिनकापार, माटेकटा, भंडारपुर एवं गाजमरा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण स्थल :

01. कार्यालय, जिला पंचायत राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
02. कार्यालय, ग्राम पंचायत, मुरमुंदा, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
03. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, तहसील कार्यालय परिसर, बलदेव बाग रोड, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 344/T&CP/Rajnandgaon/S.P.-Murmunda/2020.—The existing land use map and register for the Murmunda Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), vide notice No. 3178 Rajnandgaon, date 03-09-2019 in Chhattisgarh Rajpatra published on dated 08 November 2019.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Murmunda Planning area prepared and published are duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Rajnandgaon, C.G. under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and

registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Murmunda Planning Area

- NORTH : Village Gajmarra, Bhandarpur, Murmunda, Mudpar, Jamri upto the Northern limit of Jatkanhar.
 EAST : Village Jatkanhar, Jamri, Mudpar upto the Eastern limit of Village Khalari.
 SOUTH : Village Khalari, Medha, Patpar upto the Southern limit of Pinkapar.
 WEST : Village Pinkapar, Matekata, Bhandarpur upto the Western limit of Gajmarra.

The said adopted maps and register shall be available for inspection or general public at following place during office hours, except holidays for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :

01. Office of the Jila Panchayat, Rajnandgaon, District-Rajnandgaon (C.G.).
 02. Office of the Gram Panchayat Murmunda, District-Rajnandgaon (C.G.)
 03. Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Tehsil office Campus, Baldev bag road, District-Rajnandgaon (C.G.).

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
उप संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th December 2019

No. 1568/Confdl./2019/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application dated 04-09-2019 of Smt. Tanu Shree Gavel, Member of Lower Judicial Service, presently posted as I Civil Judge Class-II, Kharsiya requesting for change of her home district, permission is hereby accorded to change her home district as “Bilaspur/Jamshedpur” instead of “Bilaspur” with a direction that in her service records, her home district be mentioned as “Bilaspur/Jamshedpur”.

बिलासपुर, दिनांक 4 जनवरी 2020

क्रमांक 94/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6047/चेकर/तीन-10-8/2000 (VIII), दिनांक 06-06-2019 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 13184/3849/21-B/CG/2019 दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 01-02-2020 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	3	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा	4 1	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा 3. कसडोल	2 1 1	1. बलौदाबाजार 2. भटगांव 3. बिलाईगढ़ 4. सिमगा	1 1 1 1
3.	बलरामपुर मुख्यालय, रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	2	1. बलरामपुर 2. वाड्डफनगर 3. राजपुर	1 1 1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	3	1. बेमेतरा 2. साजा	2 1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड	11 1	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड 3. बिल्हा	5 1 1	1. बिलासपुर 2. पेण्डारोड 3. कोटा 4. मरवाही 5. तखतपुर	10 1 2 1 1
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा 2. सुकमा 3. बीजापुर	1 2 1	1. दंतेवाड़ा 2. बीजापुर 3. बचेली 4. कोन्दा	2 1 1 1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी 2. कुरूद	2 1	1. धमतरी 2. नगरी	2 1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	12	1. दुर्ग 2. पाटन 3. भिलाई-3	5 1 1	1. दुर्ग 2. भिलाई-3	16 1
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती	3 2	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. चांपा 4. अकलतरा	2 1 1 1	1. जांजगीर 2. सक्ती 3. डभरा 4. पामगढ़ 5. जैजैपुर 6. नवागढ़ 7. मालखरौदा	2 1 2 1 1 1 1
11.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. पत्थलगांव	1 2 1	1. जशपुर 2. कुनकुरी	2 1	1. जशपुर 2. पत्थलगांव 3. बगीचा	1 1 1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	4	1. कवर्धा 2. पंडरिया	1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव 2. नारायणपुर	2 1	1. नारायणपुर 2. केशकाल	1 1
14.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा	<u>3</u> <u>3</u>	1. कोरबा 2. कटघोरा	3 2	1. कोरबा 2. कटघोरा 3. पाली 4. करतला	1 1 1 1
15.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. बैकुंठपुर 2. मनेन्द्रगढ़	1 2	1. बैकुंठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. चिरमिरी	2 1 1	1. बैकुंठपुर 2. मनेन्द्रगढ़ 3. जनकपुर	1 1 1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सरायपाली	3 <u>2</u>	1. महासमुंद 2. सरायपाली	3 1	1. महासमुंद 2. पिथौरा	2 1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	<u>2</u>	1. मुंगेली	<u>3</u>	1. मुंगेली 2. लोरमी	1 1
18.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा	8 1 1	1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. सारंगढ़	2 1 1	1. रायगढ़ 2. धर्मजयगढ़ 3. खरसिया	4 1 2
19.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद	<u>17</u> 1	1. रायपुर 2. गरियाबंद	8 2	1. रायपुर 2. गरियाबंद 3. राजिम 4. तिल्दा 5. देवभोग	19 1 1 1 1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़	3 1 1	1. राजनांदगांव 2. अम्बागढ़चौकी 3. डोंगरगढ़ 4. खैरागढ़	2 1 1 1	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान	3 1 1 1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	3 1	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर	4 1	1. सूरजपुर	2
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	7	1. अम्बिकापुर	3	1. अम्बिकापुर 2. सीतापुर	5 2
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	2 1	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	3 1	1. कांकेर 2. पखांजुर	1 1
योग			116		99		135

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 94/Checker/III-10-8/2000 (VIII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 6047/Checker/III-10-8/2000 (VIII), dated 06-06-2019, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 13184/3849/21-B/CG/2019 dated 24-12-2019 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 01-02-2020 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod 2. Gunderdehi	<u>3</u> 1	1. Balod 2. Dallirajhara 3. Dondilohara	2 1 1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara	4 1	1. Balodabazar 2. Bhatapara 3. Kasdol	2 1 1	1. Balodabazar 2. Bhatgaon 3. Bilaigarh 4. Simga	1 1 1 1
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	2	1. Balrampur 2. Wadrafnagar 3. Rajpur	1 1 1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
5.	Bemetara	1. Bemetara	<u>2</u>	1. Bemetara	<u>3</u>	1. Bemetara 2. Saja	2 1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendra-Road	<u>11</u> 1	1. Bilaspur 2. Pendra-Road 3. Bilha	5 1 1	1. Bilaspur 2. Pendra-Road 3. Kota 4. Marwahi 5. Takhatpur	10 1 2 1 1
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara 2. Sukma 3. Bijapur	1 2 1	1. Dantewara 2. Bijapur 3. Bacheli 4. Konta	2 1 1 1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1	1. Dhamtari 2. Nagri	2 1
9.	Durg	1. Durg	12	1. Durg 2. Patan 3. Bhilai-3	5 1 1	1. Durg 2. Bhilai-3	16 1
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti	3 2	1. Janjgir 2. Sakti 3. Champa 4. Akaltara	2 1 1 1	1. Janjgir 2. Sakti 3. Dabhra 4. Pamgarh 5. Jaijaipur 6. Navagarh 7. Malkharoda	2 1 2 1 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri 3. Patthalgaon	1 2 1	1. Jashpur 2. Kunkuri	2 1	1. Jashpur 2. Patthalgaon 3. Bagicha	1 1 1
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	4	1. Kawardha 2. Pandariya	1 1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1. Kondagaon 2. Narayanpur	2 1	1. Narayanpur 2. Keshkal	1 1
14.	Korba	1. Korba 2. Katghora	<u>3</u> <u>3</u>	1. Korba 2. Katghora	3 2	1. Korba 2. Katghora 3. Pali 4. Kartala	1 1 1 1
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh	1 2	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	2 1 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Janakpur	1 1 1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 <u>2</u>	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Pithoura	2 1
17.	Mungeli	1. Mungeli	<u>2</u>	1. Mungeli	<u>3</u>	1. Mungeli 2. Lormi	1 1
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora	8 1 1	1. Raigarh 2. Gharghora 3. Sarangarh	2 1 1	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Kharsiya	4 1 2
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband	<u>17</u> 1	1. Raipur 2. Gariyaband	8 2	1. Raipur 2. Gariyaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog	19 1 1 1 1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	3 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh- chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur 2. Pratappur	4 1	1. Surajpur	2
22.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	7	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur 2. Sitapur	5 2
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	2 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	3 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
Total			116	99		135	

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 69/L.G./2019/II-2-19/2015.—Smt. Satyabhama Ajay Dubey, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted child care leave for 15 days from 26-02-2019 to 12-03-2019, earned leave for 05 days from 06-05-2019 to 10-05-2019 along with permission to leave headquarters, commuted leave for 09 days from 19-08-2019 to 27-08-2019 and child care leave for 05 days from 24-09-2019 to 28-09-2019 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of child care leave, earned leave & commuted leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 710 days of child care leave, 114 days of earned leave & 126 days of half-pay-leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 70/L.G./2019/II-3-41/2007.—Shri G.K. Mishra, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted commuted leave for 06 days from 07-09-2019 to 12-09-2019 along with permission to remain out of headquarters, earned leave for 03 days from 24-09-2019 to 26-09-2019 along with permission to remain out of headquarters from 12.00 o'clock of 25-09-2019 till before the Court hours of 27-09-2019 and earned leave for 03 days from 03-10-2019 to 05-10-2019 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 03-10-2019 till before the Court hours of 10-10-2019.

During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Mishra, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 468 days of half-pay-leave & 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 71/L.G./2019/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 09 days from 03-10-2019 to 11-10-2019 along with permission to remain out of headquarters from 03-10-2019 to 13-10-2019 and earned leave for 04 days from 15-10-2019 to 18-10-2019 along with permission to remain out of headquarters after working hours of 14-10-2019 till the morning of 21-10-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 72/L.G./2019/II-3-18/2017.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-10-2019 to 18-10-2019 along with permission to leave headquarters from 12-10-2019 to 20-10-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 253 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 73/L.G./2019/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, Registrar (S & A), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 21-10-2019 to 24-10-2019 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 18-10-2019 till 04-11-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 186 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 15th November 2019

No. 74/L.G./2019/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 03 days from 11-09-2019 to 13-09-2019 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 09-09-2019 till before the Court hours of 16-09-2019 and earned leave for 06 days from 30-09-2019 to 05-10-2019 along with permission to remain out of headquarters from 29-09-2019 to 09-10-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 5th December 2019

No. 75/L.G./2019/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Bemetara is hereby, granted earned leave for 03 days from 28-11-2019 to 30-11-2019 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 27-11-2019 till before the Court hours of 02-12-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 5th December 2019

No. 76/L.G./2019/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-11-2019 to 23-11-2019 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 5th December 2019

No. 77/L.G./2019/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 05 days from 11-11-2019 to 15-11-2019 along with permission to remain out of headquarters from 09-11-2019 to 15-11-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 187 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN.)

बिलासपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक 228/दो-2-20/2018.—श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 05-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 241/दो-2-20/2019.—श्री थॉमस एक्का, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 242/दो-3-18/2007.—श्री डॉक्टर लाल कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 243/दो-3-13/2007.—श्री एन. डी. तिगाला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 244/दो-3-14/2003.—श्री रakesh बिहारी घोरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्रमांक 245/दो-3-25/2007.—श्री मंसूर अहमद, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 248/दो-3-03/2011.—श्री रजनीश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 249/दो-2-7/2017.— श्री आनन्द कुमार सिंघल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 250/दो-2-14/2015.— श्री सुधीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 251/दो-3-26/2014.— श्री शहाबुद्दीन कुरैशी, सेन्ट्रल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सह-इंचार्ज रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 252/दो-2-20/2007.— श्रीमती कान्ता मार्टिन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 253/दो-3-36/2011.— श्री अशोक कुमार लूनिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्रमांक 254/दो-3-26/2014.— श्री सिराजुद्दीन कुरैशी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-09-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्रमांक 256/दो-2-5/2016.—श्री हिरेंद्र सिंह टेकाम, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्रमांक 264/दो-2-29/2007.—श्री सुरेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्रमांक 265/दो-2-27/2017.—श्री पंकज शर्मा, एडिशनल रजिस्ट्रार (D.E.&E), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्रमांक 266/दो-03-38/2001.—श्री राजेन्द्र प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 11-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्रमांक 267/दो-3-46/2007.—श्रीमती किरण चतुर्वेदी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्रमांक 268/दो-2-17/2015.—श्री बलराम प्रसाद वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 283/दो-3-14/2008.—श्री कंवर लाल चरयाणी, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 284/दो-2-29/2016.—श्री अजय सिंह राजपूत, अतिरिक्त निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 285/दो-3-41/2007.—श्री गोविंद कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्रमांक 286/दो-3-38/2007.—श्री राम कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-11-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.